न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशा.)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी , आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 40/2016 2016/00107

श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, बीकानेर

प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: बनाम :–

1– श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मथुरादास स्वामी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बल्लभदास मथुरादास रेलवे क्रॉसिंग के पास कोटगेट बीकानेर। निवासी नयाशहर ईद का बारी बीकानेर
2– श्री अनिल कुमार अग्रवाल भागीदार मैसर्स अनिल एजेन्सी फड़ बाजार बीकानेर
4– पिंकी अग्रवाल भागीदार मैसर्स अनिल एजेन्सी फड़ बाजार बीकानेर
5– श्री मोहन कुमार जेदिया नोमिनी मैसर्स महान मिल्क फूड लि. 177, इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर
6– मैसर्स महान मिल्क फूड लि. 177, इन्द्रा कॉलोनी बनीपार्क जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 – अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2,4 ता 6 की ओर से – श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 20.09.2018

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.11.2015 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स बल्लभदास मथुरादास रेल्वे क्रॉसिंग के पास कोटगेट बीकानेर (विक्रेता मालिक) श्री कन्हैयालाल पुत्र मथुरादास स्वामी निवासी नयाशहर ईद का बारी बीकानेर के यहां दुकान के निरीक्षण दौरान काउंटर में 40 पैकेट प्रत्येक 1 किलोग्राम पैंकिंग के घी (महान) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक घी (महान) में से प्रत्येक 1 किलोग्राम की 4 पैकेट घी (महान) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 1600/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी खा.सु.अ., विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/3930/Act/ 2015/ 368 दिनांक 01.02.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी (महान) मिसब्राण्ड पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा घी (महान) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5, व 6 की ओर से श्री विजय कुमार पारीक ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र भागीदार की मृत्यु सूचना के आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ स्वीकार की गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. तदरन्तर उभय पक्ष का कथन सुना गया।

4. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (महान) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Gjee (Mahaan)" bearing Code No. and Sr. No. AB-634 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी (महान) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अप्रार्थी संख्या 1 जवाब है कि अप्रार्थी की मै0 वल्लभदास मथुरादास के नाम से छोटी सी दुकान है। जहां अपनी दुकान से परिवार का पालन पोषण करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी के 4 सैम्पल लिये थे, जो मिसब्राण्ड पाया गया था। उक्त घी मैसर्स अनिल एजेन्सी (होलसेल व्यापारी) के यहां से बिल संख्या 7307 दिनांक 29.9.15 को पैंकिंग अवस्था में क्रय कर आगे विक्रय की गई है। उक्त माल खरा या मिलावटी है इसके बारे में मालूम नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
सत्यमेव जयते

6. अप्रार्थी संख्या 2,4,5,6 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय स्टाफ अप्रार्थी संख्या 1 की दुकान से सैम्पल लेने हेतु लिखित एवं मौखिक नोटिस दिया बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 को धमकाते हुए घी महान की पैंकिंग प्राप्त की गई। अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी और ना ही अप्रार्थीगणों को जांच के संबंध में कोई पत्र प्रेषित किया जिससे पुनः जांच करवाने से अप्रार्थीगण वंचित रहा। मात्र खानापूर्ति कर पुनः जांच हेतु रजिस्टर्ड पत्र केवल अप्रार्थी संख्या 1 को भेजना बताया गया है किस पर तामील हुआ है का कोई स्पष्ट उल्लेख अंकित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के यहां से दिनांक 23.11.2015 को जांच हेतु नमूना लिया गया था। उक्त नमूने को प्रयोगशाला में किस दिनांक को जमा करवाया गया तथा नमूना जमा नहीं होने के कारण किसकी कस्टडी में रहा है, पत्रावली में उल्लेख नहीं है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मिलावटी नहीं पाया गया है और ना ही जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। केवल मात्र मिसब्राण्ड होना पाया गया है। उन्होनें यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता तथा 2 एवं 4 उत्पादन एवं निर्माता नहीं है बल्कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 निर्माता/उत्पादक से सील्ड पैक खरीदकर उसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 1 को उसी अवस्था में सील्ड पैक विक्रय किया गया था। इसलिए खाद्य पदार्थ की मानकता व पैकेजिंग के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का कोई दायित्व नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विधि विरूद्ध एवं आधा–अधूरा होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगणों को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गय घी (महान) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.3930/Act 2015/368 दिनांक 01.02.2016 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Gjee (Mahaan)" bearing Code No. and Sr. No. AB-634 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये खाद्य सामग्री का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था, जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी के यहां घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1,2 एवं 4 ता 6 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप) खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भण्डारन, विक्रय एवं वितरण के समान रूप से दोषी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अप्रार्थीगण द्वारा घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
सत्यमेव जयते

9. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 60,000/– अखरे रूपये साठ हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

10. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

11. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से राशि 35,000/– अखरे पैंतीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 5 की शास्ति 15,000/– रूपये व अप्रार्थी संख्या 6 की शास्ति 20,000/– रूपये भरने हेतु दायी होगें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

12. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री घी (महान) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 5 व 6 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 25,000/– अखरे पच्चीस हजार रूपये में से अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता की शास्ति राशि 5,000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 की शास्ति रूपये 10,000/– 10,000/– रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 60,000/– रूपये की शास्ति में से पैंतीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 5 व 6 प्रत्येक 15 हजार एवं 20 हजार रूपये (विनिर्माता) एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 5000/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 4 वितरक प्रत्येक 10–10 हजार रूपये की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 को रजिस्टर्ड डाक से तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 2, 4 ता 6 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner